मुंबई पत्तन प्राधिकरण

दिनांक 29 मई 2024 को आयोजित बैठक संख्या 1 में बोर्ड के संकल्प

अनु. क्र.	बी आर संख्या	विषय	पारित संकल्प	विभाग/ प्रभाग
1.	1	दिनांक 3.11.2021 से महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 का प्रवर्तन - महापत्तन प्राधिकरणों के नए आरएसपी विनियमों का निर्धारण और अधिसूचना - संबंधित.	बोर्ड ने महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021, की धारा 72(2)(i) के तहत मुंबई पत्तन प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2024 को अधिसूचित करने के लिए मसौदा अधिसूचना को अनुमोदन प्रदान किया, जिसमें अनुलग्नक III में निर्धारित अब तक अधिसूचित, सभी बाद के संशोधनों को शामिल किया गया है, बशर्ते इसे सरकार की मंजूरी प्राप्त हो.	साप्रवि
2.	2	शक्तियों का प्रत्यायोजन (डीओपी)	बोर्ड ने दिनांक 11.2.2015 के पहले शक्तियों के प्रत्यायोजन का अधिक्रमण करते हुए आईपीए द्वारा अग्रेषित शक्तियों के एकसमान प्रत्यायोजन (डीओपी) को अपनाने को अनुमोदन प्रदान किया. अनुमोदन होने पर इसे अनुपालन के लिए सभी विभागों को भेजा जाएगा. साथ ही इसे मंत्रालय को भी भेजा जाएगा.	वित्त
3.	3	1 मार्च 2024 को आयोजित बोर्ड की बैठक सं.13 के कार्यवृत्त की पुष्टि.	बोर्ड ने 1 मार्च 2024 को आयोजित बैठक संख्या 13 के कार्यवृत्त की पुष्टि की.	साप्रवि
4.	4	12 मार्च 2024 को आयोजित बोर्ड की बैठक सं.14 के कार्यवृत्त की पुष्टि.	बोर्ड ने 12 मार्च 2024 को आयोजित बैठक संख्या 14 के कार्यवृत्त की पुष्टि की.	साप्रवि
5	5	शिवडी में इको-पार्क के विकास के लिए मुंबई पोर्ट सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन की नियुक्ति का प्रस्ताव.	बोर्ड ने नोट के पैरा 5 में दिए गए सहायक निदेशक (रणनीतिक प्रबंधन) के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया.	साप्रवि
6	6	संविदा आधार पर श्री दिलीप शेकदर, सलाहकार (योजना) की सेवाओं का विस्तार; और वरिष्ठ सलाहकार (योजना) और सलाहकार (योजना) की नियुक्ति के लिए नया विज्ञापन जारी करना.	बोर्ड ने निम्नलिखित को अनुमोदन प्रदान किया : (i) श्री डी.वी. शेकदर को सलाहकार (योजना) के रूप में संविदात्मक नियुक्ति के विस्तार के लिए पूर्वव्यापी मंजूरी. उन्हीं नियमों और शर्तों पर, 1.3.2024 से	साप्रवि

अनु. क्र.	बी आर संख्या	विषय	पारित संकल्प	विभाग/ प्रभाग
			28.2.2025 तक एक वर्ष की अवधि के लिए, मौजूदा समेकित मासिक पारिश्रमिक में 5% की वृद्धि के साथ यानी रु.1,98,450 जो कि पूर्णांकन रु.2,00,000 और रु.50,000 प्रति माह यात्रा भत्ता और जीएसटी का भुगतान, जैसा लागू हो, और (ii) अनुलग्नक II में शैक्षिक/ व्यावसायिक योग्यता, अनुभव, आयु, समेकित पारिश्रमिक और अन्य नियमों और शर्तों के अनुसार संविदा आधार पर वरिष्ठ सलाहकार (योजना) की नियुक्ति के लिए नया विज्ञापन जारी करना.	
7.	7	निविदा संख्या ई 38/2021 के लिए पहला और दूसरा विस्तार - गोदी क्षेत्र के अंदर कुछ संरचनाओं की वार्षिक हाउसकीपिंग	बोर्ड ने नोट के पैरा 11 में दिए गए यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	यातायात
8.	8	सैनी हेवी इंडस्ट्री इंडिया प्रा. लि. के प्रोजेक्ट कार्गो के आयात शिपमेंट के लिए नि:शुल्क अवधि का विस्तार.	बोर्ड ने नोट के पैरा 17 में दिए गए यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	यातायात
9	9	एटीसी ग्लोबल लॉजिस्टिक्स लि. से दि.13.12.2023 के विलंबशुल्क माफी हेतु आवेदन द्वारा विलंबशुल्क की छूट का अनुरोध.	बोर्ड ने निर्णय लिया कि एटीसी ग्लोबल लॉजिस्टिक्स प्रा.लि. का विलंबशुल्क की छूट के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता.	यातायात
10	10	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन विनियम, 1965 के विनियम 8(बी) के तहत श्री. मनोजकुमार सिंह, सेवानिवृत्त शेड अधीक्षक, यातायात विभाग के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई.	बोर्ड ने निम्नानुसार निर्णय लिया - (i) श्री मनोजकुमार सिंह, सेवानिवृत्त शेड अधीक्षक, यातायात विभाग को उनके दुराचार के लिए "1वर्ष की अवधि के लिए पेंशन का 5% रोकने" का दंड आदेश जारी करना. (ii) टर्मिनल बकाया जल्द से जल्द जारी करना.	यातायात

अनु. क्र.	बी आर संख्या	विषय	पारित संकल्प	विभाग/ प्रभाग
11	11	निविदा सं. सीई. परियोजना/टीसीबी/ 2020 - पीर पाऊ पर तीसरे रासायनिक बर्थ का विकास - विस्तार और अतिरिक्त निष्पादन को मंजूरी.	बोर्ड ने मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को निम्नानुसार अनुमोदित किया- (i) परियोजना के अंतिम रूप से पूरा होने तक अतिरिक्त/अधिक लागत, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए अंतिम लागत पर एक बार संशोधित लागत अनुमान तैयार करना और सरकार की मंजूरी के लिए इसे संसाधित करना. (ii) जीएसटी सहित रु.2,47,06,523.02 का वर्तमान अतिरिक्त निष्पादन और 25.2.2024 से 30.5.2024 तक अनुबंध पूरा करने की अवधि में 96 दिनों का विस्तार प्रदान करना, जैसा कि कार्य-सूची नोट के पैरा 2 और 3 में बताया गया है.	स्थापत्य अभियांत्रिकी
12	12	बीपीसीएल द्वारा मुंबई रिफाइनरी से रसायनी तक 22" व्यास के मल्टीप्रोडक्ट पाइपलाइन, 10" ल्यूब पाइपलाइन, और 6" ओएफसी केबल, जिसकी कुल लंबाई लगभग 6.5 किलोमीटर है, बिछाने के लिए मार्गाधिकार अनुमति.	बोर्ड ने नोट के पैरा 6 में दिए गए संपदा प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	संपदा
13	13	10 साल की पट्टा अवधि के लिए वार्षिक किराये के आधार पर ई-टेंडर सह नीलामी पद्धति के माध्यम से एलफिंस्टन एस्टेट स्थित रियान ग्रेन मार्केट में कम्पार्टमेंट 'डी' जिसका माप 1647.91 वर्ग मीटर है का आबंटन.	बोर्ड ने नोट के पैरा 4 में दिए गए संपदा प्रबंधक के प्रस्ताव को और अनुलग्नक III के एलएसी रिपोर्ट को अनुमोदित किया.	संपदा
14.	14	मंजूरी का प्राक्कलनः सेवा प्रदाता से मुंबई पत्तन प्राधिकरण के लिए अग्निशमन स्टाफ की नियुक्ति - टीसीआर का अनुमोदन - निविदा डीसी/पीएफएस-02/2023 की मूल्य बोली.	बोर्ड ने नोट के पैरा 8 में दिए गए उप संरक्षक के प्रस्ताव को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया.	समुद्री

अनु. क्र.	बी आर संख्या	विषय	पारित संकल्प	विभाग/ प्रभाग
15.	15	उच्च न्यायालय वाणिज्यिक एवं वीएजे 2015 का वाणिज्यिक सूट नंबर 96 मुंबई पत्तन का न्यासी बोर्ड बनाम एम.वी. सुलावेसी II और अन्य.	बोर्ड ने नोट के पैरा 9 में दिए गए उप संरक्षक के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया.	सुमुद्री
16.	16	7 साल की अवधि के लिए दो गश्ती नौकाओं को किराए पर लेने के लिए निविदा सं. डीसी-एमआरसी-पीबी-01/2022 का निर्वहन और पुन: निविदा मंगाना.	बोर्ड ने 7 साल की अवधि के लिए दो गश्ती नौकाओं को किराए पर लेने के प्रस्ताव की पुन: निविदा के लिए उप संरक्षक के प्रस्ताव को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया.	समुद्री
17.	17	निविदा सं.डीसी/एमआरसी/एचटी/01/ 2021 के खंड संख्या 53(ए) के विस्तार की मंजूरी - पोर्ट मेन इंजन में बडी खराबी के कारण एच.टी. अजीत की गैर-परिचालन अवधि तथा निविदा खंड 53(सी) शुद्धिपत्र 3 के अनुसार ओ एंड एम ठेकेदार को मैनिंग लागत का 10% भुगतान करना.	बोर्ड ने नोट के पैरा 7 में दिए गए उप संरक्षक के प्रस्ताव को मंजूरी दी.	समुद्री
18.	18	एमओटी, जवाहर द्वीप में एमओवी-1308 के प्रतिस्थापन की सुविधा के लिए कच्चे तेल की पाइपलाइन सी-1 और सी-2 के समुद्री जल फ्लशिंग के लिए उपयोग किये जानेवाले एम.टी. हरि लीला और एम.टी. देशभक्त के बर्थ किराया और जहाज स्थानांतरण, जहाजों के पायलटेज शुल्क की छूट.	बोर्ड ने महापत्तन प्राधिकरण (दरमान शुल्क तथा शर्तों का निर्धारण और कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 8 के संदर्भ में, नोट के पैरा 9 में बताए गए दो जहाजों के लिए रु.29,64,000.41 के शुल्क को माफ करने के मुख्य यांत्रिक अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	स्थापत्य अभियांत्रिकी
19	19	एमबीपीए आवासीय कॉलोनियों के लिए त्रैवार्षिक विदयुत मरम्मत और रखरखाव अनुबंध - वरली में सागरगीत, कॉटन ग्रीन में पूर्व-बीडीएलबी आवासीय कॉलोनियों और पोर्ट ट्रस्ट अस्पताल, वडाला में स्टाफ क्वार्टर -नामांकन के आधार पर ठेका देने को मंजूरी.	विचार-विमर्श आस्थगित.	स्थापत्य अभियांत्रिकी

अनु. क्र.	बी आर संख्या	विषय	पारित संकल्प	विभाग/ प्रभाग
20.	20	आरएफपी सं.एमबीपीए-एमईईडी-आईए-01 - तेल पाइपलाइनों और संबंद्ध कार्यों की अखंडता निर्धारण के लिए परामर्श सेवाओं का प्रबंध - मेसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को ठेका प्रदान करना और प्राक्कलन को मंजूरी.	बोर्ड ने नोट के पैरा 13 में दिए गए मुख्य यांत्रिक अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया.	स्थापत्य अभियांत्रिकी
21.	21	महाराष्ट्र में संसदीय आम चुनाव, 2024 के कारण 20 मई, 2024 को अवकाश की घोषणा.	बोर्ड ने गोदी उपविधि सं.118 के प्रयोजनार्थ 20 मई 2024 को बंद अवकाश के रूप में मानने को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया.	साप्रवि
22.	22	एकल स्त्रोत चयन के आधार पर छह महीने के लिए किराये पर दो मूरिंग लाँच.	बोर्ड ने नोट के पैरा 14 में दिए गए उप संरक्षक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	समुद्री
23.	23	एमबीपीए के स्वामित्व वाले 2 पायलट लाँच पीएल प्रगति और पीएल प्रांजलि के मैनिंग, संचालन, रखरखाव और पूर्ण तकनीकी प्रबंधन के लिए तीन साल के लिए निविदा, जिसे दो और वर्षों के लिए बढाया जा सकता है.	बोर्ड ने नोट के पैरा 8 में दिए गए उप संरक्षक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	समुद्री
24.	24	निविदा संख्या ई.10ए/2017 : इंदिरा डॉक, मुंबई में मौजूदा मुंबई अन्तर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल (MICT) का आधुनिकीकरण - मुख्य तकनीकी परीक्षक द्वारा गहन परीक्षा रिपोर्ट.	बोर्ड ने नोट के पैरा 10 में दिए गए मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	स्थापत्य
25.	25	मुंबई पत्तन प्राधिकरण के लिए मुंबई हार्बर में मरीना के विकास के लिए मॉडल अध्ययन. वाटर फ्रंट में वैकल्पिक स्थान का अध्ययन.	बोर्ड ने नोट के पैरा 7 में दिए गए मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	स्थापत्य
26.	26	एमबीपीए और सीएसएमवीएस संग्रहालय के बीच समझौता ज्ञापन का प्रस्ताव	बोर्ड ने नोट के पैरा 4 में दिए गए सहायक निदेशक (रणनीतिक प्रबंधन) के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	साप्रवि

अनु. क्र.	बी आर संख्या	विषय	पारित संकल्प	विभाग/ प्रभाग
27.	27	भूमि आबंटन समिति (एलएलसी) ने रेलवे पुलिस स्टेशन, वडाला को 327.88 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्रफल (बीयूए) की इमारत सं.24, तेजस नगर कॉलोनी की पहली मंजिल के आबंटन की सिफारिशें.	बोर्ड ने नोट के पैरा 12 में दिए गए संपदा प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	संपदा
28.	28	पीर पाऊ के संपूर्ण तेल पाइपलाइन खंड के लिए द्विवार्षिक संचालन और रखरखाव संविदा के प्राक्कलन को मंजूरी.	बोर्ड ने नोट के पैरा 6 में दिए गए मुख्य यांत्रिक अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	स्थापत्य अभियांत्रिकी
29.	29	रो पैक्स टर्मिनल पर बैगेज स्कैनर मशीन की स्थापना के लिए 33.97 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के उपयोग की अनुमति का विस्तार.	बोर्ड ने नोट के पैरा 18 में दिए गए यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	यातायात
30.	30	एमबीपीए चौकी नंबर 8 से शिवडी में बीपीसीएल के बेंजीन इंस्टॉलेशन तक बीपीसीएल को 12 इंच व्यास की ब्लैक ऑयल लाइन बिछाने की मार्गाधिकार अनुमति.	बोर्ड ने नोट के पैरा 7 में दिए गए संपदा प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	संपदा
31.	31	एचपीसीएल को बीएमसी के माहुल एसटीपी से एचपीसीएल मुंबई रिफाइनरी तक 14" व्यास की पानी की लाईन बिछाने के लिए मार्गाधिकार अनुमति.	बोर्ड ने नोट के पैरा 7 पर संपदा प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	संपदा
32.	32	कार्यालय प्रयोजन के लिए पोर्ट उपयोगकर्ताओं को ढके हुए स्थान के आबंटन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)-के संबंध में.	बोर्ड ने नोट के पैरा 27 पर यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	यातायात
33.	33	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के मुंबई पत्तन प्राधिकरण के वार्षिक लेखे.	बोर्ड ने नोट के पैरा 12 और 13 पर वित्तिय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	वित्त
34.	34	मुंबई पत्तन के पुनरुद्धार के लिए पीपीपी रणनीति.	बोर्ड ने नोट के पैरा 8 पर मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	स्थापत्य अभियांत्रिकी

अनु. क्र.	बी आर संख्या	विषय	पारित संकल्प	विभाग/ प्रभाग
35.	35	निविदा सं. ई 14/2023 का निर्वहन, जिसका शीर्षक है "पीपीपी तरीके से इंदिरा डॉक, मुंबई में हार्बर वॉल बर्थ (18 आईडी से 21 आईडी) का उन्नयन, सुसज्जित करना, संचालन, रखरखाव और अंतरण".	बोर्ड ने नोट के पैरा 7 पर मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	स्थापत्य अभियांत्रिकी
36.	36	मैलेट बंदर और ससून डॉक से मत्स्य नौकाओं को आपूर्ति की गई बर्फ पर शुल्क की वसूली.	बोर्ड ने एसओआर की धारा 8.1.डी में निम्नानुसार संशोधन करने के लिए यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया :- **8.1.डी. लाइसेंस प्राप्त एजेंसियों द्वारा पानी/बर्फ की आपूर्ति** लाइसेंस प्राप्त एजेंसियों द्वारा पानी/बर्फ की आपूर्ति के लिए क्रमश: रु.20.43 प्रति 1000 लीटर/ प्रति टन की दर से शुल्क लगाया जाएगा.	यातायात

\Pro 29May 2024\Actiontaken2952024.doc